

E-TENDER DOCUMENT

FOR

RATE CONTRACT

OF

**MILK, LASSI, CHHACHH & GHEE PACKING
MACHINE OPERATION & MAINTENANCE
WORK AT JAIPUR DAIRY.**

JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015
PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670
Fax No. : 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583,
E-Mail : jaipurdairy@jaipurdairy.com
Website : <http://www.jaipurdairy.com>

जयपुर ड़ेयरी
जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
गॉधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर
Tele fax: 0141-2711075 EPABX: 0141-2713666-69

ज.जि.दु.उ.स.सं.लि./संयंत्र/

दिनांक:

ई-निविदा-सूचना

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के जयपुर संयंत्र दुग्ध, लस्सी, छाछ एवं घी पोली पैकिंग मशीनो के संचालन एवं रखरखाव हेतु पीस रेट पर (दो वर्ष तक की अवधि हेतु) अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति / पार्टियों से ई-निविदा वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण उपरोक्त वेबसाइट एवं sppp.rajasthan.gov.in व jaipurdairy.com पर देखा जा सकता है ।

प्रबंध संचालक

प्रतिलिपि-

1. प्रबन्धक (संयंत्र/एपीएस/संयंत्र/ कार्मिक/वित्त एवं लेखा/एफ.पी.एस.)
2. उप प्रबंधक (प्रचार/प्रसार) को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा शीघ्र समाचार-पत्र एवं वेबसाइट पर अपलोड करवायें ।
- 3- I/c. New Plant / Old Plant
4. नोटिस बोर्ड

प्रबंध संचालक

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर

Salient Features of the Tender :

JZDUSS Ltd., is having their Milk Processing Facilities at Jaipur Dairy Plant, Jaipur. The total quantity of Milk, Chhachh handled (Capacity) is about 14 LLPD. Of this about 10LLPD is being handled at New Plant & about 4 LLPD is being handled at Old Palnt. The total quantity of Milk and chhach Packed is around 8 -10 LLPD in New Plant , presently . Milk and chhach can be packed at both the Plants in future. Hence O & M activity is required to be provided at both the plants , when required.

Jaipur Dairy Plant proposes to invite Bids for the OPERATION & MAINTENANCE WORK OF MILK, LASSI, CHHACHH & GHEE PACKING MACHINES installed at their Old Plant & New Plant . The Details of the machines are as under:

Machine Heads at Old Plant : Milk:	41 Nos.
Ghee :	04 Nos.
Fresh Products:	22 Nos.

Machine at New Plant : Milk :	35 Nos.
Fresh Products:	16 Nos.

1. The contract is for maintenance and operation of machines mentioned above, the contract includes replacement of all consumable parts (mechanical, electrical and lubricants).The contractor will ensure replacement of parts, with the parts of OEM of the Machines.
2. The non consumable mechanical part such as injection rod, injection tube, vertical and horizontal jaw, SS roller shaft, SS roller, worm & worm wheel and driving shaft etc will be repaired by contractor with OEM parts, entirely to the entire satisfaction of section in charge. In case dairy find that performance of repaired non consumable parts is not satisfactory then these shall be provide by Jaipur Dairy to the contractor the replacement (Reference list of consumables spares of machines are enclosed herewith at annex. A). the scrap so generated shall be property of Jaipur dairy.
3. The machines will be repaired and operated by trained technicians of contractor and to the satisfaction of I/C packing section. The contractor will be insure the packing is at least 90% affiance required as per define speed/capacity of packing machine.
4. In case, when rates are changed, contractor will have to provide literate & competent manpower to operate Ink Jet Coding Machine for reprinting 'revised rates' or any other message using Ink Jet coding machine on rolls
5. The required number of crates will have to be filled within stipulated period as per the communication made by production section from time to time.
6. The contractor will keep in ready all the critical and consumable spare parts in his stock. New parts will be fitted after getting checked by in-charge packing or his representative.
7. The contractor has to adhere to preventive maintenance schedule approved by packing in charge, Jaipur dairy and will ensure proper hygienic condition of machines.

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

8. All the machines will be given in working condition before starting the contract. Also at the expiry the contract the contractor will handover all the machines in good working conditions.
9. Approved contractor or his representative will have to be available at Jaipur Dairy for rectifications of other machine problems round the clock.
10. Contractor has to ensure good pouches recovery per Kg of film as per RCDF/JDP norms decided from time to time, if he fails to achieve these norms. Then cost of the loss of film at prevailing purchase price will be recovered from him and suitable penalty may also be imposed.
11. Stamping of all pouches filling machines from Weight and Measure department is to be done by the contractor and should submit certificate to the concern incharge. Contractor will be responsible for weight and measure norms. Contractor will further ensure the correct filling of pouches as per act 1976/norms and other statutory laws.
12. Supervisors in the shift provided by the contractor should be equipped with mobile to facilitate proper monitoring.
13. The contract shall also include visit of at least two days per month of a senior technical personnel. The more number of visits will have to be carried out if needed. For these visits no travel charges and accommodation charges shall be paid.
14. The contractor shall have to maintain history cards for each head/machine.
15. At New plant, there are some difference set up as compared to existing plant:-
 - In new set up coding in being done by 77K printers using ribbon, so the party will not be required to installed coding m/c & meet expenses of ink etc.
 - No winding/rewinding operations.
 - All m/c's are new.
 - All m/c's are mechanicals.
16. In case contractor fails to provide above manpower of any worker/operator leaves his place of work without any valid reason. A Suitable penalty may be imposed on the contractor per person per shift.
17. Domino Coding Machine winder/Rewinder will be repaired by contractor.
18. The New contractor will provide manpower without any charges for seven days and if work will be done successfully, then contract will be allotted.
19. The Old contractor will provide complete manpower (stand by) till the new tenderer takes over successfully and the payment of manpower (stand by) during the period of change over of the work between old party to new party will be given to old party as per decided by Jaipur Dairy management.
20. The bidders are advised to read the details as given in the Section –III of this Bid Document.

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर

ज.जि.दु.उ.स.सं.लि./संयंत्र/

दिनांक:

विस्तृत ई-निविदा-सूचना

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के जयपुर संयंत्र पर दुग्ध, लस्सी, छाछ एवं घी पोली पैकिंग मशीनो के संचालन एवं रखरखाव हेतु वार्षिक अनुबंध के आधार पर पीस रेट पर आधारित श्रमिक अनुबंध दो वर्ष तक की अवधि हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति / पार्टियों से कार्य के लिए जयपुर डेयरी (पुराना प्लांट) व नवीन प्लांट हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

S.No.	Particulars	Date/Time
1.	Date & time of Uploading tender form by Milk Union	07.03.2019 at 04.00 PM
2.	Date & time of start of Uploading tender by tenderer	07.03.2019 at 04.00 PM
3.	Prebid meeting	11.03.2019 at 11.00 AM
4.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	04.04.2019 Upto 02.00 PM
5.	Last Date & time submission of :-	
I	EMD Rs. 3,00,000/- (Three Lacs) (As per Special Condition) by DD / Banker cheque / pay order(CTS only)/ BG in the name of JZDUSSLtd., Jaipur	04.04.2019 Upto 03.00 PM
II	Tender form fee Rs. 1,000/- by DD / Banker cheque / pay order(CTS only) in the name of JZDUSSLtd., Jaipur	04.04.2019 Upto 03.00 PM
III	E-tender processing fee Rs. 1,000/- by DD / Banker cheque / pay order(CTS only) in the name of MD, RISL., Jaipur	04.04.2019 Upto 03.00 PM
6.	Date & time of opening of technical-bid	05.04.2019 AT 03.00 PM
7.	Date and time of opening of financial bid	To be informed later

निविदा प्रपत्र दो भागो में है। जो निविदादाता प्रथम भाग में सफल रहेगा, उसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के द्वितीय भाग को खोलने की दिनांक घोषित की जावेगी।

किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक महोदय, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।

प्रबंध संचालक

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

**JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
JAIPUR**

**INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM &
DOCUMENTS**

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>. To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.

Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder
Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.
Help Desk MOBILE:+91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232
“Toll free, 24X7”
E-mail- eproc@rajasthan.gov.in
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box,
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer “Bidders manual” available under “Downloads” section for further details about the e-tendering process.

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जयपुर
दुग्ध, लस्सी, छाछ एवं घी पोली पैकिंग मशीनो के संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा प्रपत्र

(भाग अ)



(निविदादाता का फोटो)

1. निविदादाता का पता (ई-मेल पता आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना है)
 नाम व पता मय फोन नं.:-----
 ई-मेल -----
 (साक्ष्य के रूप में पानी/बिजली अथवा -----
 राशन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें) -----
2. पूर्ण पता स्थाई : -----
3. स्थानीय पता मय फोन नं. : -----

4. निविदादाता के सम्पर्ककर्ता का विवरण -----
 नाम पता एवं टेलीफोन नं०-----
5. निविदादाता का श्रम विभाग के पंजीयन संबंधी विवरण
 (स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें) :-----
6. फर्म का प्रकार : प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी/कंसोर्टियम
 नोट :- प्रस्तुत दस्तावेजो के मूल रिकार्ड स्वयं अथवा प्रतिनिधि साथ लावें, जिससे कमेटी द्वारा मांगने पर उन्हें अवलोकन करवाया जावें ।

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

विभिन्न कार्यों हेतु अमानत राशि/सुरक्षा राशि/बैंक गारन्टी/अनुभव व टर्न ओवर सम्बंधी आर्हताए
(विस्तृत जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न विशेष शर्तें देखें)

क्र०स०	कार्य का नाम	धरोहर राशि रु०	सुरक्षा राशि		
		DD/BC/BG/ Pay Order (CTS only)	DD/BC/Pay Order/ B.G	Income Tax Return	अनुभव
1.	दुग्ध, लस्सी, छाछ एवं घी पोली पैकिंग मशीनों के संचालन एवं रखरखाव हेतु	3,00,000/-	10,00,000/-	02 Year	न्यूनतम 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन एवं दो वर्ष का अनुभव (दो पार्टी की दर समान आने पर प्रतिदिन 2.00 लाख लीटर से अधिक पैकिंग एवं दो वर्ष से अधिक अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी)

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

Section I

Instruction to Bidders and Bid Data Sheet (ITB/ ITSP)

Important Instruction:- The Law relating to procurement *“The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012” [hereinafter called the Act]* and the *“Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013” [hereinafter called the Rules]* under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

Note: This tender is being invited for the procurement of services of contractor for MILK, LASSI, CHHACHH & GHEE PACKING MACHINE OPERATION & MAINTENANCE WORK, no concession or exemption in the EMD/Bid security, Tender Form Fee, Tender processing Fee will be allowed to any bidder even though they are registered with NSIC, MSME, SSI of Rajasthan etc..

Hence all the bidders must deposit these fees as mentioned in the bid document, failing which the tender will be rejected.

Any grievance of a Bidder pertaining to the procurement process shall be by way of filing an appeal in accordance with the provisions of Chapter III of the Act and Chapter VII of the Rules and as given in Appendix A to these ITC to the First or Second Appellate Authority, as the case may be, as specified below:

First Appellate Authority:- Chairman, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited

Second Appellate Authority:- The Managing Director, Rajasthan Cooperative Dairy Federation Ltd.

Appendix A: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First or Second Appellate Authority, as the case may be, as may be designated for the purpose, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful in terms of section 27 of the Act, the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the technical Bid before the opening of the financial Bid, an appeal related to the matter of financial Bid may be filed only by a Bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

(2) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(3) Form of Appeal

- (a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(4) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

(5) Procedure for disposal of appeals

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

Annexure
FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- 1.
- 2.
- 3.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

Section II: Evaluation and Qualification Criteria

इस खण्ड में वांछित सभी सूचनार्ये/दस्तावेज भरना/अपलोड करना आवश्यक है अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

1. धरोहर राशि/निविदा मूल्य एवं निविदा प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट निर्धारित समय तक जमा करवाये जाने आवश्यक है। जिनके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदादाता के पास निम्न आवश्यक दस्तावेज/रजिस्ट्रेशन होना अतिआवश्यक है।
 - i) नाम व पता के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति
 - ii) पैन कार्ड,
 - iii) आधार कार्ड,
 - iv) ईएसआई पीएफ रजिस्ट्रेशन,
 - v) जीएसटी रजिस्ट्रेशन,
 - vi) फूड सेफ्टी लाइसेंस,
 - vii) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक : (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 लाइसेंस /रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज
 - viii) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान, अधिनियम, 1958

OR

भारतीय भागीदारी अधिनियम या 'भारतीय साझेदारी अधिनियम' (Indian Partnership Act, 1932)

OR

कम्पनी अधिनियम, 1956
- (उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी)।
3. वह निविदादाता जो वर्तमान में किसी भी प्राइवेट प्रतिस्पर्धी ब्रांड के संयंत्र में इस प्रकार का कार्य कर रहा हो वह इस निविदा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।
4. वे निविदादाता जो वर्तमान में संघ में तकनीकी मैनुपावर की आपूर्ति, कुशल अर्द्धकुशल श्रमिकों की आपूर्ति, सिटी सप्लाई परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रामीण दुग्ध उत्पादक समितियों से केन दुग्ध परिवहन, सरस दुग्ध उत्पादों के वितरक, घी पाउडर के भण्डारण हेतु गोदाम तथा पशु आहार संयंत्र कालाडेशा पर किसी भी कार्य अनुबंध के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं वे इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।
5. दुग्ध पैकिंग, क्रेट वांशिंग, कोल्ड स्टोर व लोडिंग अनलोडिंग, घी-बटर, छाछ-लस्सी, श्रीखण्ड, पनीर, दही, फ्लेवर्ड मिल्क, पाउडर पैकिंग, बागवानी, टैट्टा पैक दूध पैकिंग, कैन वांशिंग कार्यों के ठेकेदार इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।
(निविदादाता को अपने लैटर हैड पर उक्तानुसार अण्डरटेकिंग अपलोड करनी होगी)।
6. इस निविदा में उन निविदादाताओं को जिनके प्रोपराइटर / पार्टनर / डायरेक्टर एक हों / आपस में रक्त सम्बन्धी हों (सिर्फ आश्रितों के लिये लागू) / आपस में वित्तीय सम्बन्ध हों, तो वे सभी फर्म एक ही मानी जावेगी।
7. **अनुभव:** निविदादाता को समकक्ष कार्य हेतु कम से कम (वर्ष 2013 से) पिछले 05 वर्ष में न्यूनतम 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन एवं दो वर्ष का अनुभव (दो पार्टों की दर समान आने पर प्रतिदिन 2.00 लाख लीटर से अधिक पैकिंग एवं दो वर्ष से अधिक अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी) सफलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। **(कार्यादेश की प्रति अपलोड करनी होगी)।**
8. निविदादाता को विगत दो वर्षों की आइटीआर अपलोड करनी होगी।
9. निविदादाता द्वारा अन्य आवश्यक दस्तावेज निविदा में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार अपलोड करने होंगे:-
 - फार्म संख्या-1 (तकनीकी निविदा प्रस्तुत करने हेतु)
 - फार्म संख्या-2 (निविदादाता के संस्थान की जानकारी व अनुभव)
 - फार्म संख्या-3 (बैंक गारन्टी के रूप में ईएमडी जमा कराने का प्रपत्र, यदि आवश्यक हो तो)
 - फार्म संख्या-4 (आरटीपीपी एक्ट की धारा 7 एवं 11 की अनुपालना बाबत शपथ-पत्र)
 - फार्म संख्या-5 (पावर ऑफ अटॉर्नी)
 - फार्म संख्या-6 (न्यायालय, ब्लैक लिस्टिंग, वित्तीय एवं रक्त सम्बन्ध, दिवालिया सम्बन्धी शपथ-पत्र 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
 - फार्म संख्या-7 (निविदा की शर्तें मन्जूरी का शपथ-पत्र)

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

- फार्म संख्या-8(न्यूनतम मजदूरी सम्बंधी शपथ पत्र)
- 8. निविदादाता के पास श्रम विभाग के लाइसेन्स मय वांछित निर्धारित मात्रा के श्रमिकों की संख्या का इन्द्राज होना चाहिये। यही दस्तावेज निविदा हेतु मान्य माना जावेगा।

9. उक्त शर्त क्रमांक 04 व 05 रखे जाने का आधार निम्नानुसार है :-

1. एक ही ठेकेदार को समस्त कार्यों का ठेका लेने की सम्भावना बढ जायेगी व किसी भी समय उसके द्वारा कार्य रोके जाने पर पूरी डेयरी का कार्य/सिटी सप्लाई बाधित हो सकता है । इस प्रकार की घटना पूर्व में भी जयपुर डेयरी में घटित हो चुकी है ।
2. एक ही ठेकेदार यदि दुग्ध उत्पादों की पैकिंग के ठेके के साथ – साथ यदि तकनीकी कर्मकारों का ठेका भी ले लेता है तो पैकिंग कर्मकार भी उसी ठेकेदार का व उसके उपर कार्यरत पर्यवेक्षक (तकनीकी सुपरवाइजर) भी उसी ठेकेदार का अर्थात दौनों कर्मकार एक ही फर्म के होंगे व किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर संघ के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करेंगे एवं कार्यों जैसे- पैकिंग/डिस्पेच एवं बिल बनाने में पारदर्शिता नहीं रहेगी अर्थात चोरी की सम्भावना बनी रहेगी ।
3. इसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था में कार्यरत ठेकेदार यदि कर्मकार उपलब्ध कराने का ठेका ले लेता है तो उसी के कर्मकार संयंत्र से अन्दर – बाहर आते जाते रहेंगे व उसी के कर्मकार चैकिंग में भी रहेंगे । ऐसे में वे किसी भी प्रकार की चोरी/अनियमितता होने पर संघ के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करेंगे एवं कार्य में पारदर्शिता नहीं रहेगी ।
4. एक ही ठेकेदार यदि समस्त कार्यों का ठेका ले लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से एकाधिकार व हठधर्मिता प्रदर्शित करेगा ।

यह है कि निविदा में ज्यादा से ज्यादा निविदादाता भाग लेने चाहिये जिससे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से दरें प्राप्त हो सकती हैं । ऐसे में दुग्ध संघ में कार्यरत वर्तमान ठेकेदारों के अतिरिक्त बाहर से ज्यादा से ज्यादा फर्मों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा ।

Section III: Terms of Reference

(अ) निविदा की सामान्य शर्तें :

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है (तकनीकी भाग – भाग “अ” एवं वित्तीय भाग – भाग “ब”) । भाग “अ” तथा भाग “ब” अलग-अलग अपलोड किये जाने हैं ।
 2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा के भाग “अ” के साथ विशेष शर्तों के अनुसार धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी), टेंडर फार्म फीस के ड्राफ्ट जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जयपुर के नाम संलग्न करनी होगी एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट MD RISL के नाम जमा करवाना होगा। जिसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा राशि के पेटे समामेलित कर दी जावेगी। ई-टेंडर होने की स्थिति में धरोहर राशि, टेंडर फार्म फीस एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट की स्कैन की हुई कॉपी भाग “अ” के साथ अपलोड की जानी है तथा मूल ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिये गये निर्देशों के अनुसार जमा करानी आवश्यक है ।
 3. असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात व सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध कर कार्य संचालित किये जाने के पश्चात ही उनकी धरोहर राशि लौटा दी जावेगी ।
 4. धरोहर राशि निम्न कारणों से जब्त की जायेगी :-
 1. यदि निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा वापस लेता है या परिवर्तन करता है ।
 2. यदि निविदादाता दर स्वीकृति पत्र में दिये गये समय के अंदर सुरक्षा राशि एवं अनुबन्ध नहीं करता है ।
 3. यदि सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा राशि जमा कराने व अनुबन्ध करने के पश्चात कार्यादेश की अनुपालना में कार्य संभाला नहीं जाता है ।
- नोट : यदि उक्त कारण से निविदादाता की धरोहर राशि जब्त की जाती है तो वह पार्टी भविष्य में संघ में किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी। ऐसे निविदादाता जिनकी धरोहर राशि पूर्व में जब्त की जा चुकी है वे इस निविदा में भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे।
5. तकनीकी भाग “अ” में वांछित सभी प्रकार के दस्तावेज इत्यादि संलग्न/अपलोड किये जाने आवश्यक है। खण्ड –II में वांछित किसी सूचना को नहीं भरा/अपलोड किया जाता है तो वह सूचना या दस्तावेज बाद में नहीं ली जावेगी व निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। सिर्फ अपूर्ण अथवा किसी अन्य कारणवश छूटे हुये दस्तावेज जिनका उल्लेख कर दिया गया हो पर प्रमाणित प्रति अपलोड नहीं की गयी हो के सत्यापन हेतु प्रमाणित प्रतियाँ RTPP एक्ट के तहत ली जा सकती है। भाग “ब” में सिर्फ वित्तीय भाग (ON-LINE-BOQ) ही होना चाहिए ।
 6. प्रशासन के निर्देशानुसार उत्पाद की पैकिंग नये एवं पुराने प्लांट अथवा दोनों में से किसी एक प्लांट में भी करवाया जा सकता है।
 7. सफल निविदादाता को (विशेष शर्तों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो) बैंक गारन्टी दिया जाना अनिवार्य हैं। जो कि अनुबन्ध समाप्ति की अवधि के छः माह पश्चात तक की होना अनिवार्य हैं ।
 8. अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष की होगी। अनुबंध की अवधि को संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में तीन माह के लिए उन्हीं शर्तों पर बढ़ायी जा सकती है।
 9. अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व विशेष शर्तों के अनुसार सिक्क्यूरिटी के रूप में वांछित राशि जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सुरक्षित राशि अनुबन्धित कार्यावधि सफलतापूर्वक समाप्ति के 6 माह पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरान्त लौटाई जा सकेगी :-
 - (अ) निविदादाता को अनुबन्ध समाप्ति उपरान्त एक इण्डेमनिटी बाण्ड सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने पर ।
 - (ब) सभी सम्बन्धित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ।
 - (स) श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा नियम में जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (यदि आवश्यक हो तो) ।
 - (द) कान्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं में रिकार्ड संधारण किये जावें तथा आवश्यकता पर प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।(यदि आवश्यक हो तो) ।
 - (य) सभी वैधानिक आवश्यकताये मय आयकर/ टैक्स (यदि हो तो) व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । अनुबंधकर्ता द्वारा टैक्स जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत करनी होगी ।

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

10. निविदा प्रपत्र के विशेष शर्तों में कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तों का विवरण दिया गया है । निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित फोटो प्रति तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करते हुये पृथक रूप भाग अ तथा भाग ब अलग अलग अपलोड किये जाने हैं ।
11. निविदा प्रपत्र का भाग “ब” में निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर भरी जानी है । भाग “ब” निर्धारित प्रपत्र में अलग अपलोड किया जाना है ।
12. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिये प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के भाग “अ” में चाही गई वांछित सूचनाएं एवं दस्तावेजों व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं की निविदाओं के सम्बन्धित भाग “ब” को खोला जावेगा ।
13. निविदा पत्र के भाग “ब” में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरो का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा । किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में दरें निर्धारित प्रपत्र में ही भरी जानी है।
14. सफल निविदादाता को जयपुर दुग्ध संघ का नोमिनल सदस्य बनना आवश्यक है ।
15. किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
16. निविदादाता को निविदा पत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया जाना होगा ।
17. किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय में निहित रहेगा ।
18. फर्म के प्रकार में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर अनुबन्धकर्ता को इस कार्यालय में सूचित करना आवश्यक है । परन्तु यह परिवर्तन किसी भी पूर्व पार्टनर को अनुबंध के दायित्व से मुक्त नहीं करेंगी । परिवर्तन के पश्चात भी अनुबंधकर्ता फर्म अनुबंध की शर्तों से बंधी हुई रहेंगी ।
19. कार्य आदेश देने के 7 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करना होगा । जिसके अभाव में कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि जब्त की जा सकेगी । साथ ही सफल निविदादाता को सात दिवस के अन्दर वांछित कर्मकारों को भौतिक रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित कर प्रदर्शित करना होगा ।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र जयपुर मान्य होगा ।
21. निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत/अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
22. निविदादाता /अनुबंधकर्ता को कोई भी सूचना उसके ई-मेल के पते पर प्रेषित की जा सकती है । ई-मेल पर भेजी गई सूचना निविदादाता / अनुबंधकर्ता को उसी दिन प्राप्त हुई मानी जावेगी ।
23. डेयरी प्रशासन द्वारा निविदादाता के कार्यालय एवं अन्य संस्थाओं , जंहा विशेष शर्तों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा दिया गया है, का अवलोकन किया जा सकता है ।
24. यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है जोकि अनुबन्ध अवधि में सामने आता है तो अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि/सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान जब्त कर लिया जावेगा ।
25. व्यवस्था में परिवर्तन होने पर एवं संघ हित में अनुबंध अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार संघ के पास होगा ।
26. संघ हित में अनुबंध की शर्तों में वांछित परिवर्तन आपसी सहमति से किया जा सकता है ।
27. अनुबंध की अवधि अनुबन्धित कार्य प्रारम्भ करने के दिन, जिसकी गणना अनुबन्ध में वर्णित समस्त शर्तों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कार्य आवंटन दिनांक से की जावेगी।
28. ई-निविदा निर्धारित तिथि व समय पर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी व उस समय निवेदक स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु इजाजत होगी
29. निविदादाताओं द्वारा प्रेषित की गई दरें जयपुर दुग्ध संघ प्रशासन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिये निविदा खुलने की तिथि से चार माह तक खुला रखना होगा ।
30. श्रमिक संयंत्र में कार्य आवश्यकतानुसार किसी भी शिफ्ट/समय में उपलब्ध कराने होंगे। यह सिर्फ श्रमिक कार्यों से सम्बन्धित अनुबन्धों के लिये ही लागू होगी।
31. अनुभाग प्रभारी द्वारा दी गई अल्पकालीन सूचना के आधार पर सूचना प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात वांछित संख्या में कर्मकार उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार ने इसकी अनुपालना नहीं की तो उसके हर्जे व खर्च पर अन्य स्थान से जिस दर पर मैनपावर कर्मकार मिलेंगे लाकर कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा उसका सम्पूर्ण व्यय एवं रु. निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

- 100/- प्रतिदिन प्रति श्रमिक शास्ति सहित अनुबन्धित ठेकेदार के बिलों से काटा जायेगा। इसके अतिरिक्त नियोजक द्वारा ठेकेदार को आवंटित ठेका निरस्त करने का अधिकार भी होगा। यह सिर्फ श्रमिक कार्यों से सम्बन्धित अनुबन्धों के लिए ही लागू होगी।
32. अनुबंधकर्ता द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य का विवरण के समय निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु बिल अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करवाकर कार्यालय में कार्य पूरा होने अथवा प्रत्येक माह की समाप्ति पर माह की पांच तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों को समस्त प्रकार के भुगतान नियमानुसार करने का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
 33. अनुबंधकर्ता द्वारा प्रत्येक माह के बिल के साथ रु. 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रमाणित इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उसके द्वारा उसके सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुपालना करते हुए भुगतान कर दिया गया है तथा नियमानुसार ईएसआई/पीएफ एवं अन्य राशियां सम्बन्धित अनुभाग में जमा करवा दी गयी है। शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है।
 34. उपरोक्त समस्त कार्यों के लिये सर्वोपरि एवं अति-आवश्यक समस्त श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कि कपड़े, बाल हाथ, आचरण आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसके लिये किसी भी प्रकार की कोताही अक्षम्य होगी। कार्यस्थल पर उत्पादन आरम्भ होने से पूर्व एवं बाद की स्वच्छता तथा कार्य के दौरान स्वच्छता रखने की पूर्ण जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के 15 दिवस में अपने श्रमिकों को यूनिफार्म मय अप्रेन एवं कैप के उपलब्ध करवानी होगी एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका प्रत्येक श्रमिक स्वच्छ यूनिफार्म में डेयरी परिसर में उपस्थित होंगे। निश्चित दिनांक के पश्चात कर्मकारों के निर्धारित वर्दी में न होने पर रु. 100/- प्रतिदिन प्रति श्रमिक की शास्ति लगाई जावेगी। श्रमिकों को उपलब्ध करवायी जाने वाली यूनीफार्म का रंग एवं प्रकार प्रशासन के द्वारा निश्चित की जावेगी।
 35. ठेकेदार के द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा डेयरी संयंत्र में आवंटित कार्य या भवन या प्लान्ट एण्ड मशीनरी का या अन्य प्रकार का कोई चोरी अथवा नुकसान किया जाता है तो उसका पुनर्भरण ठेकेदार से नुकसान के पच्चीस गुना शास्ति सहित वसूली उसके देय भुगतान/सुरक्षा राशि/बैंक गारन्टी इत्यादि से करने का प्रशासन को अधिकार होगा। उक्त कृत्य में पाये गये दोषी श्रमिक का संघ परिसर में प्रवेश वर्जित करते हुये सम्बन्धित निविदादाता/ठेकेदार को संघ में किसी भी कार्य व ठेके से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिये अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित किया जा सकता है।
 36. कार्य स्थल पर ठेकेदार अथवा उसके द्वारा सुपरवाइजर कार्य के दौरान उपस्थित होना चाहिये। यह सिर्फ श्रमिक कार्यों से सम्बन्धित अनुबन्धों के लिए ही लागू होगी।
 37. ठेकेदार को आई.एस.ओ. 22000:2005 के सिद्धान्तों के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त श्रमिकों का प्रत्येक छः माह में (एक बार) स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा। किसी भी श्रमिक के अस्वस्थ होने या उनकी सेवाये प्रबन्ध की सन्तुष्टि के स्तर की नही होने पर प्रबन्ध के निर्देशानुसार श्रमिक को हटाकर दूसरा श्रमिक उपलब्ध करवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
 38. अनुबंधकर्ता को उस पर लागू समस्त अधिनियमों कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विभाग अधिनियम, कांटेक्ट लेबर एक्ट 1970, आयकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, राज्य कर्मचारी अधिनियम, बाल श्रमिक रोकथाम एवं रेग्युलेशन एक्ट 1986 एवं आईएसओ 22000:2005 के सिद्धान्तों की अनुपालना स्वयं को करनी होगी।
 39. अनुबंधकर्ता को अपने प्रत्येक कर्मकार के लिये रु0 05 लाख बीमित मूल्य का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। कार्य के दौरान कर्मकार के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त कार्यवाही करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।
 40. अनुबंधकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि अपने या संघ में किसी अन्य अनुबंध के अधीन सुपरवाइजर / कर्मकार की तरह कार्य नहीं करेगा।
 41. कार्य स्थल पर अनुबंधकर्ता अथवा उसका सुपरवाइजर कार्य के दौरान उपस्थित होना चाहिए।
 42. अनुबंधकर्ता को कोई भी शर्त जोड़ने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित करने अथवा बिना किसी नोटिस या कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ, जयपुर के प्रशासन का होगा।
 43. ठेकेदार द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मकार का नाम/पिता का नाम/आयु/स्थायी पता/शैक्षणिक योग्यता परिचय पत्र तैयार कर प्रबन्ध को उपलब्ध करवाना होगा तथा अनुबंध अवधि में ठेकेदार द्वारा अंशकालिक ठेके की पूर्ण अवधि के लिये नियुक्त किये जाने वाले समस्त कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित ठेकेदार उत्तरदायी होगा। कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिवस में कर्मकारों के पास परिचय पत्र न होने की स्थिति में रु. 100/- प्रतिदिन प्रति श्रमिक की शास्ति लगाई जावेगी।

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

44. सभी वैधानिक आवश्यकतायें मय आयकर व अन्य टैक्स समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियमानुसार जमा करवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। यह सभी (जीएसटी अतिरिक्त) ठेकेदार द्वारा दी गई दर में शामिल माने जावेंगे।
45. श्रमिक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेज्यूलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट 1970 के प्रावधानों के अनुसार सभी शर्तों व नियमों का पालन करेगा व ऐसा नहीं पाये जाने की शिकायत के लिये वह सीधा जिम्मेदार होगा। पंजीकृत प्रमाण पत्र को समय पर नवीनीकरण कराने व पंजीकृत निर्धारित संख्या सीमा तक रखने के लिये तथा इस कानून के प्रावधानों के लिए अनुबन्धकर्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
46. ईएसआई/पीएफ की दरों में राज्य सरकार द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी जिसकी पालना अनुबन्धकर्ता द्वारा की जावेगी।
47. अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारों की आयु श्रम अधिनियम एवं बाल श्रमिक (रोकथाम एवं रेग्यूलेशन एक्ट 1986) के अनुसार होनी चाहिये। उक्त अधिनियमों की पालना करने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
48. प्रबन्ध निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाने हेतु अनुबन्धकर्ता को स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक के माध्यम से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रति पारी सम्पर्क स्थापित करना होगा एवं आपात स्थिति में सम्पर्क स्थापित करने हेतु अनुबन्धकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध को अवगत कराना होगा।
49. All disputes and differences arising between the parties out of the agreement or incidental thereto shall be decided by arbitration under the provisions of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 or any other law for the time being in force and the same shall be final and binding on both the parties.
50. Appeals:-First appellate authority - Chairman, JZDUSS
Second appellate authority - Managing Director, RCDF
Procedure for appeal is mention at Annexure "A"
51. सम्बन्धित अनुबन्धकर्ता से अनुबन्ध अवधि में जो भी सूचना या दस्तावेज इस संघ द्वारा मांगे जावेंगे वे निश्चित अवधि में उपलब्ध करवाने आवश्यक होंगे यदि अनुबन्धकर्ता के द्वारा दस्तावेज/सूचना नहीं दी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना माना जावेगा तथा प्रबन्धन इस अनियमिता के लिये अनुबन्धकर्ता पर शास्ती आरोपित कर सकेगा तथा अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।
52. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य अंसतोषजनक होने पर प्रशासन द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। इस स्थिति में अनुबन्धकर्ता की सुरक्षा राशि/ बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान भी जब्त किये जावेंगे।
53. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो अनुबन्धकर्ता को बकाया नहीं प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि व अन्य कोई राशि वांछित सूचना उपलब्ध करवाने तक नहीं दी जावेगी। अनुबन्ध अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई सूचना वांछित होती है तो वह सूचना अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
54. यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा सर्विस टैक्स व अन्य कोई नया कर निविदा के पश्चात निर्धारित किया जाता है तो उसका भुगतान देय दरों के अतिरिक्त होगा।

(ब) निविदा हेतु विशेष शर्तें:

The Scope of the work and special conditions

21. Number of heads and make of machine :

SN	Type of Machines	Milk Section (Old Plant)	Fresh Products Section (Old Plant)	Ghee Section (Old Plant)	Milk Section (New Plant)	Fresh Products Section (New Plant)
1	IS-5		10	02		
2	FILPACK 5000					
3	IS-6	08				
4	VIJAYPAC-6000	16				
5	BALAJI PACKING	06	02			
6	VIJAYPAC-6LTR	03				
7	NICROME	02	04			
8	Samrpan High Speed				08	
9	IS-6(New Model)	02	06		24	16
10	Samrpan 06 LTR				03	
11	Advance Packing	04		02		

(In case of additional/deletion machine there will be no change in rate as per lit. packing rate is called in tender.)

22. **The contractor should be given seprate rate per litre** (any type & Qty of packing) for new plant & old plant, because at New plant is some difference set up as compared to existing plant.
23. The contract is for maintenance and operation of machines mentioned above, the contract included replacement of all consumable parts (mechanical, electrical and lubricants).The contractor will ensure replacement of parts, with the parts of OEM of the Machines.
24. The non consumable mechanical part such as injection rod, injection tube, vertical and horizontal jaw, SS roller shaft, SS roller, worm & worm wheel and driving shaft etc will be repaired by contractor with OEM parts, entirely to the entire satisfaction of section in charge. In case dairy find that performance of repaired non consumable parts is not satisfactory then these shall be provide by Jaipur Dairy to the contractor the replacement (Reference list of consumables spares of machines are enclosed herewith at annex. A). the scrap so generated shall be property of Jaipur dairy.
25. The machines will be repaired and operated by trained technicians of contractor and to the satisfaction of I/C packing section. The contractor will be insure the packing is at least 90% affiance required as per define speed/capacity of packing machine.
26. The contractor shall be responsible for seal leakages of the packed pouch, if the product is received back from the field to JDP on account of seal leakage then the management may impose penalty @3=00 per ltr. of the quantity so received in case of milk & @ Rs 10.00 per lit in case of chhach & Lassi for the losses of product processing.

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

27. Each pouch packed will have to bear clear code number. Suitable penalty can be imposed on contractor if pouches are packed without code. Required number of impact coding machines shall have to be provided & maintained (along with consumables) by the tenderer only.
28. In case, when rates are changed, contractor will have to provide literate & competent manpower to operate Ink Jet Coding Machine for reprinting 'revised rates' or any other message using Ink Jet coding machine on rolls
29. The required number of crates will have to be filled within stipulated period as per the communication made by production section from time to time.
30. The contractor will keep in ready all the critical and consumable spare parts in his stock. New parts will be fitted after getting checked by in-charge packing or his representative.
31. The contractor has to adhere to preventive maintenance schedule approved by packing in charge, Jaipur dairy and will ensure proper hygienic condition of machines.
32. All the machines will be given in working condition before starting the contract. Also at the expiry the contract the contractor will handover all the machines in good working conditions.
33. In no case, the down time of any machine should exceed more than 24 hours in case of any breakdown. In case any problem is not rectified by the contractor within 24 hours without valid reason. The management of Jaipur dairy shall be free to get the machine repaired from the market at the risk and cost of the contractor. The overhauling (preventive maintenance) machines must be completed within 48 hrs time otherwise suitable penalty may be imposed.
34. At least one operator for each four heads of machines in each shift will be made available by contractor separately for each packing station (fresh milk product, milk & ghee)
35. Approved contractor or his representative will have to be available at Jaipur Dairy for rectifications of other machine problems round the clock.
36. Contractor has to ensure good pouches recovery per Kg of film as per RCDF/JDP norms decided from time to time, if he fails to achieve these norms. Then cost of the loss of film at prevailing purchase price will be recovered from him and suitable penalty may also be imposed.
37. Stamping of all pouches filling machines from Weight and Measure department is to be done by the contractor and should submit certificate to the concern incharge. Contractor will be responsible for weight and measure norms. Contractor will further ensure the correct filling of pouches as per act 1976/norms and other statutory laws.
38. Supervisors in the shift provided by the contractor should be equipped with mobile to facilitate proper monitoring.
39. The contract shall also include visit of at least two days per month of a senior technical personnel. The more number of visits will have to be carried out if needed. For these visits no travel charges and accommodation charges shall be paid.
40. The contractor shall have to maintain history cards for each head/machine.

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

41. At New plant, there are some difference set up as compared to existing plant:-
- In new set up coding in being done by 77K printers using ribbon, so the party will not be required to install coding m/c but will have to provide ribbons for those printers from OEM (M/S Domino Printech).
 - No winding/rewinding operations.
 - All m/c's are new.
 - All m/c's are mechanicals.
42. Normally under normal packing conditions the contractor will have to provide following minimum no. of staff in each shift at each packing station separately:-
- a. M/c operation – one operator for each set of four m/c heads & one operator for each 06 Ltr. and High Speed packing m/c's
 - b. m/c maintenance - One mechanics & one skilled worker.
 - c. Coding at m/c - One coding oprator each set of eight m/c heads (as per requirement)
 - d. Supervisors - One each packing section (Equipped with mobiles)
 - e. For Ink Jet Coding Machine- One Operator and two skilled workers (as per requirement)
- (If city supply of milk, Chhachh, Ghee etc. will increase, the contractor will increase number of manpower as per requirement.)
43. In case contractor fails to provide above manpower of any worker/operator leaves his place of work without any valid reason. A Suitable penalty may be imposed on the contractor per person per shift.
44. One mechanic shall be made available in G-shift for machine overhauling in each packing station. One coding person for set of 10 packing head shall be made available at each packing station.
45. In case of ghee – If leakage pouch return from FGS, penalty may be imposed against packing contractor.
46. Domino Coding Machine , winder/Rewinder will be repaired by contractor.
47. The contractor will provide manpower without any charges for seven days and if work will be done successfully then contract will be allotted.
48. In case if contractor fails in above work, then security & bank guarantee will be confiscated and the party will be black listed by Jaipur Dairy. Afterthat work will be allotted to party L2 and L3 or to pervious contractor as per dicided by Jaipur Dairy management. Further condition no. 26 will be applied till the work allotted to successful party.
49. The contractor will be provided complete manpower (stand by) till the new tender will be taken over successfully and the payment of manpower (stand by) during the period of change over the work between old party to new party will be given to old party as per dicided by Jaipur Dairy management.
50. The Payment shall be made on the basis on Final Dispatched Quantity.

Annex. A

List of Parts/Consumables for pouch filling machines

1. All sealing elements
2. All rubber spares
3. Teflon cloth/ tape
4. All type of tapes (Insulation, Thread etc.)
5. All bushes
6. Brass fittings
7. Injection solenoid valves.
8. Gear box spares and accessories
9. All cards
10. Switches
11. Transformers
12. Idler rollers
13. Nip rollers
14. Bearings
15. Springs
16. Seal kits
17. Nut & bolts
18. Cables wires
19. Lugs and ferrules
20. Air/Water pipes
21. Terminals/Knobs
22. Indicators
23. Connectors
24. Connectors & Relays
25. Forks
26. Cam rods
27. Cam POF & PFF
28. Micro switch operating system
29. 24 Volt dc coil
30. Kit for FRL unit
31. Oil bowl
32. Spreader arms with clamps
33. Glass fuse & holders
34. Silencers
35. Nylon gear
36. UV Tubes & fittings
37. Oil & lubricants

38. Potencometers/ rheostat
39. Mica strips
40. Coding ink (anti freeze and food grade)
41. Solvent
42. Stereo (Coding letters)
43. Rubber mat for coding letters
44. Ink rollers
45. Drum coding machine
46. Pressure plate
47. All spares of coding machine
48. Main solenoid valve
49. All capacitors
50. All condensers
51. All door/window's latches/handles
52. All glasses
53. All package counters
54. Spares of cooling system
55. Timing Belt
56. Horizontal solenoid valves
57. Flow control valve
58. Timing pulley
59. All spacers
60. Sliding plate
61. Winding rod
62. All coils
63. Carbon brushes
64. All lamps & Bulbs
65. Injection cylinder
66. Vertical cylinder
67. Fork dancing cylinder
68. Cello tape
69. Horizontal cylinder
70. FRL unit
71. Cam Block
72. Dancing Bracket
73. Cam lever
74. Out Cam for horizontal jaw
75. Ribbons, PLC & all other items as per requirement of new machines at new plant.

Section IV :BIDDING FORMS

Form -1 TECHNICAL PROPOSAL SUBMISSION FORM

{Location, Date}

To
Managing Director,
Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.
Jaipur-302 015, Rajasthan

Dear Sir:

We, the undersigned, offer for Milk, Lassi, Chhachh & Ghee Packing Machine Operation & Maintenance Work At Jaipur Dairy, in accordance with your Bid Proposals dated [Insert Date]. We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal and a Financial Proposal as e-procurement portal i.e. <http://eproc.rajasthan.gov.in>

We hereby declare that:

- (a) All the information and statements made in this Bid/Proposal are true and we accept that any misinterpretation or misrepresentation contained in this Bid/Proposal may lead to our disqualification by the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. and action may be taken against us under the provisions of the Act and the Rules.
- (b) Our Proposal shall be valid and remain binding upon us for the required period of 120 Days.
- (c) We declare that we have complied with the and shall continue to comply with the provisions of Code of Integrity contained in the Bid Document in competing for and in execution of the Contract and that we have no conflict of interest in accordance.
- (d) We meet the Eligibility and Qualification criteria as required in the Bid Document.
- (e) Our Bid/Proposal is binding upon us and subject to any modifications resulting from the Contract negotiations.
- (f) We undertake, if our Proposal is accepted and the Contract is signed, to initiate the Services related to the assignment no later than the period stated in the Bid Document.
- (g) We understand that the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.. is not bound to accept any Proposal that it receives.

We remain,

Yours sincerely,

Authorized Signature {In full and initials}: _____

Name and Title of Signatory: _____

Name of Bidder (firm's/ company's name): _____

In the capacity of: _____

Address: _____

Contact information (phone and e-mail): _____

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

Form -2
BIDDER'S ORGANIZATION AND EXPERIENCE

Form TECH-2: a brief description of the Bidder's organization and an outline of the recent experience of the Bidder that is most relevant to the assignment. For each assignment, the outline should indicate, the duration of the assignment, the contract amount and the Bidder's role/ involvement.

A - Bidder's Organization

1. Name & full address of the firm
Submitting the tender (In block letters) _____

- Phone no. _____ Mobile no. _____
Fax No. _____ Email address _____
2. Addressed to : J.Z.D.U.S.S. Ltd., JAIPUR-15

3. Name of the person/s authorized to :
Negotiate and sign the contract
(Designation / status in the firm)
(Enclose an attested photocopy of power of attorney issued by all partners/director in favour of nominated person).
4. Status of tenderer with signature : Individual/ HUF/ firm/ company
(tick mark only) (Specify the details in enclosed annexure- I)
(Mandatory: Before making any change in constitution of the firm, it will be intimated to JZDUSS LTD., Jaipur for approval).
5. Earlier experience in this field : Upload the document/s.
6. Tender Fee Details:
Rs..... DD no..... date.....
Name of the Bank..... Branch.....
(The DD should be in favour of JZDUSS LTD. Ltd, Jaipur payable at Jaipur)
7. EMD Details:
DD no. dated...../...../2018
Issued by Bank..... Branch..... (DD should be in favour of JZDUSS LTD., Ltd., Jaipur, payable at Jaipur. No interest will be payable on EMD.
8. RISL Fees Details:
DD no. dated...../...../2018
Issued by Bank..... Branch..... (DD should be in favour of M.D. RISL, Jaipur, payable at Jaipur.
- 9- (a) PAN Card / No.....(Attach attested Photocopy)

(b) GSTN No. (Attach attested Photocopy)
- 10 Details of the Bankers: Name..... Account No. -----
Branch District..... State IFSC Code.....

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

B - Bidder's Experience

S. No.	Name of the assignment	Client (address and Contact Number)	Time Period (From....to....)	Cost of work order

(Please upload duly attested copies of Work orders)

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

FORM -3**Bid Security in form of Bank Guarantee**

[To be issued by a Scheduled Bank in India and must be duly stamped]

[insert Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

Beneficiary:

The Managing Director
Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,
Jaipur-302015 Rajasthan
Date: *[insert date]*

BID GUARANTEE No.: *[insert number]*

We have been informed that *[insert name of the Bidder]* (hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its Bid dated *[insert date]* (hereinafter called "the Bid") for Milk, Lassi, Chhachh & Ghee Packing Machine Operation & Maintenance Work At Jaipur Dairy. under Bid No. *[insert BID number]*. Furthermore, we understand that, according to your conditions, Bid must be supported by a Bid Security.

At the request of the Bidder, we *[insert name of Bank]* hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of *[insert amount in figures]**[insert amount in words]* upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the Bid/Tender conditions, because the Bidder:

- (a) has withdrawn its Bid/Tender during the period of Bid validity specified by the Bidder in the Form of Bid; or
- (b) having been notified of the acceptance of its Bid by the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur during the period of Bid/Tender validity,
 - (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required,
 - (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the Instructions to Bidders (ITB),
 - (iii) does not accept the correction of errors in accordance with the ITB, or
 - (iv) breaches any provision of the Code of Integrity specified in ITB;

This guarantee will expire: (a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of copies of the contract signed by the Bidder and the performance security issued to you upon the instruction of the Bidder; and (b) if the Bidder is not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Bidder of the name of the successful Bidder; or (ii) 120 days after the expiration of the Bidder's Bid/Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

The Guarantor has power to issue this guarantee and discharge the obligations contemplated herein, and the undersigned is duly authorised to execute this Guarantee pursuant to the power granted under

Name _____

In the capacity of _____

Signed _____

Duly authorized to sign the Bid Security for and on behalf of _____

Date _____

Bank's Seal _____ of Bid Security

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

FORM -4
Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder

In relation to our Bid/Tender submitted to Managing Director, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur-302015, Rajasthan for Milk, Lassi, Chhachh & Ghee Packing Machine Operation & Maintenance Work At Jaipur Dairy. In response to their Bid/Tender No..... Dated we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd..
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:	Signature of Bidder
Place:	Name :
	Designation:
	Address:

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

FORM -5**POWER OF ATTORNEY***(On Stamp paper of appropriate value and attested by notary)*

Know all men by these presents, We.....(name and address of the registered office) do hereby constitute, appoint and authorise Mr / Ms.....
(name and residential address) who is presently employed with us and holding the position of
 as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our Bid for selection as Bidder for Milk, Lassi, Chhachh & Ghee Packing Machine Operation & Maintenance Work At Jaipur Dairy. Including signing and submission of all documents and providing information/responses to JZDUSS LTD., JAIPUR in all matters in connection with our Applicant for the said Assignment.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Dated this the Day of Acceptance

For Name & signature

(Name and designation of the person(s) signing on behalf of the Applicant)

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

Form -6
-: शपथ - पत्र :-

(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक से सत्यापित)

मैं / हम निविदादाता पुत्र श्री पता.....
..... (फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्र फर्म
के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेक्टर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूँ कि

1. मैं/हमारे द्वारा जयपुर संघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
2. जयपुर संघ द्वारा मेरे/हमारे के विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
3. मेरा/हमारा पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है/निलम्बित नहीं / अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है / ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
4. मेरा/हमारा संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी (As on date of submission of Tender) वित्तीय सम्बन्ध नहीं है ।
5. मेरा/हमारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध नहीं है ।
6. मैं/हम दीवालिया /नाबालिक/अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है ।
7. मैं/हम संघ के समान/प्रतिस्पर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त नहीं है ।
8. मैं/हम वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं ।
9. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी/हमारी धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा । जिसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

Form -7TENDER ACCEPTANCE DECLARATION

Tender Reference No. _____

Tender ID No. _____

Name of Tender / Work / Item _____

Dear Sir,

I / We have downloaded / obtained the tender documents(s) for the above mentioned "Tender / Work / Item" from the web site(s) namely:

_____ as per your advertisement,
given in the above mentioned website(s).

1. I / We hereby certify that I/We have read and understood the entire terms and conditions of the tender documents (including all documents like Special Notes, annexure(s), Schedules(s), Specifications of the item(s), etc.) which form part of the contract agreement and I / We shall abide hereby the terms / conditions / clauses contained therein.
2. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
3. I / We hereby unconditionally agree & accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) corrigendum(s) in its totality / entirety.
4. In case any provisions of this tender are found violated or breached then your department / organization shall without prejudice to any other legal right or remedy be at liberty to reject this tender / bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, With Official Seal)

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर

Form -8

-: शपथ - पत्र :-

(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक से सत्यापित)

मैं / हम निविदादाता पुत्र श्री पता.....
 (फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्र फर्म
 के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेक्टर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना की जावेगी ।
2. मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में ही दिया जावेगा । बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा ।
3. मेरे द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जावेगा ।
4. मेरे द्वारा राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं इएसआई की राशि जमा करवायी जावेगी ।
5. कार्य सम्पादन की अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने/इउसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी मेरी होगी । इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी । श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये मेरी जिम्मेदारी होगी ।
7. सफल निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी । सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी । निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी । वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा । उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।
8. यदि सफल निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इसके लिए उपापन संस्था को सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
9. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर